न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–263/2023 (GCMS No. 2023/273) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. सुरेश आयु करीब पुत्र हरभेजी व तोताराम, जाति काछी निवासी ग्राम खेरली तहसील मनियां जिला धौलपुर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।
2. अंगूरी बाई पुत्री सुन्दरपाल जाति काछी निवासी फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 21.08.2023 जिला कलक्टर धौलपुर अपील संख्या 49/22 उनवानी सुरेश बनाम राजस्थान सरकार विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 112 दिनांक 08.06.1981 वाके ग्राम फिरोजपुर तहसील धौलपुर।

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री योगेश शर्मा वकील
2. रेस्पो. सं. 1 व 3 की ओर से राजकीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक : 27.06.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 21.08.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 832, 833, 834, 835 वाके ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर के खोले गये नामांतरकरण संख्या 112 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई कि उक्त खसरा नम्बरों के खातेदार काश्तकार सुन्दरपाल पुत्र पातीराम, जाति काछी निवासी फिरोजपुर थे। सुन्दरपाल के निधन के बाद सुन्दरपाल के वारिस एवं उत्तराधिकारी सुन्दरपाल की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

वेवा रामश्री तथा पुत्रीगण अंगूरी बाई एवं हरभेजी थी। हरभेजी का निधन 04.06. 1990 को हो चुका है। हरभेजी के वारिस अपीलांट सुरेश पुत्र तोताराम है तथा रामश्री पत्नी सुन्दरपाल का भी निधन हो चुका है। सुन्दरपाल के निधन के बाद रेस्पो. संख्या 2 ने तथ्यों को छुपाते हयु रेस्पो. सं. 1 से साजकर अपीलांट की माँ हरभेजी व अपीलांट की बैक पर हरभेजी को छोडते हुये अपने एवं स्व. रामश्री के पक्ष में अवैध रूप से अपीलाधीन नामांतरकरण दर्ज करा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. की तलवी जारी की गई परन्तु सूचना के बाद भी उपस्थित न होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.04.2023 को अमल में लाई गई तथा एकपक्षीय बहस सुनी जाकर मात्र मियाद के बिन्दु पर अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्व यह अपील अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से राजकीय प्रतिनिधि उपस्थिति। रेस्पो. संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि अपीलाधीन नामांतरकरण आदेश तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत था जिसमें सुन्दरपाल का सिजरा असत्य रूप से अंकित किया गया था जिसकी समुचित जॉच की जानी आवश्यक है। सुन्दरपाल के वारिसान में उनकी पत्नी रामश्री व पुत्री अंगूरी तथा हरभेजी है। अपीलांट हरभेजी का पुत्र है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट की बैक पर पारित किया गया है। अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक था। अपीलाधीन नामांतरकरण आदेश हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया। कानूनन एक निर्वसीयती के निधनोपरान्त उसकी विरासत प्रथम श्रेणी के समस्त वारिसान में वहिस्सा बराबर प्रक्रान्त होती है तथा अपीलाधीन प्रकरण में भी सुन्दरपाल के निधनोपरान्त सुन्दरपाल के प्रथम श्रेणी के वारिस एवं उत्तराधिकारी सुन्दरपाल की वेवा रामश्री तथा पुत्रीगण अंगूरीबाई व हरभेजी थी। हरभेजी को छोडते हुये खोला गया नामांतरकरण पूर्णतया अवैध था जबकि हरभेजी द्वारा न तो कोई वयनामा किया गया और न ही हक त्याग किया गया। फिर भी नामांतरकरण दर्ज करते समय सुन्दरपाल की प्रथम श्रेणी वारिस हरभेजी को छोड दिया गया। अवैध आदेश को ज्ञान से कानूनन कभी भी आक्षेपित किया जा सकता है तथा अवैध आदेश को आक्षेपित करने में म्याद का बिन्दु कभी भी आडे नहीं आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.08.2023 जिला कलक्टर धौलपुर एवं अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 112 दिनांक 08.06.1981 निरस्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

फरमाया जावे तथा पत्रावली तहसीलदार धौलपुर को समुचित आदेशार्थ प्रतिप्रेषित की जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त यथा आरआरटी 2013(II)पेज 766, आरआरटी 2011(1) पेज 432, आरआरटी 2012(II) पेज 850, आरआरटी 2009 (II) पेज 988, आरआरटी 2002 (II) पेज 723, आरआरटी 2002 (1) पेज 257 एवं आरआरटी 2005(1)पेज 646 उद्वृत किये।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीरों को ससम्मान अवलोकन किया। जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.08.2023 में अंकित किया गया है कि " दिनांक 08.06.1981 के नामांतरकरण की अपील दिनांक 05.10.2020 को अर्थात लगभग 39 वर्ष पश्चात की गई है। अपील प्रस्तुतीकरण में बिलम्व शमन हेतु कोई भी संतोषजनक कारण अंकित नहीं है। इसप्रकार अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 112 मियाद बाहर है। चूँकि अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि हरभेजी की मृत्यु दिनांक 04.06. 1990 को हुई है जिसका आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में हरभेजी की माता का नाम रामश्री एवं पिता का नाम सुन्दरपाल अंकित है। सुन्दरपाल की मृत्यु के बाद नामांतरकरण संख्या 112 में अंकित किया गया है कि मृतक सुन्दरपाल के स्थान पर उनकी बेवा रामश्री व पुत्री अंगूरी बाई का वहिस्सा बराबर नाम दर्ज किया जाना स्वीकार किया गया है। पुत्री हरभेजी के नाम दर्ज क्यों नहीं किया जबकि वह प्रथम श्रेणी की वारिस थी। नामांतरकरण पर अंकित सिजरा में भी रामश्री बेवा, अंगूरी बाई पुत्री अंकित किया है।

8. इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण भरते समय मृतक सुन्दरपाल के प्रथम श्रेणी वारिसान की जॉच नहीं की गई। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस तथ्य का विवेचन नहीं किया जाकर केवल मियाद के बिन्दु पर अपील का निर्णय पारित किया गया जो कि विधिसम्मत नहीं है। प्रकरण में अपीलांट के हितों बावत् विवेचन आवश्यक है। प्रथम श्रेणी के वारिसान हरभेजी को किस आधार पर छोडा गया अंकित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के संबध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया है ताकि कोई भी पक्ष अनसुना नहीं रहे और प्रकरण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उभयपक्ष की सुनवाई के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णित हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण मियाद के विन्दु पर न किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें प्रकरण पर चस्पा होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार किये योग्य है।

9. फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर का निर्णय दिनांक 21.08.2023 एवं नामांतरकरण संख्या 112 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार धौलपुर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचनानुसार मृतक सुन्दरपाल के वारिसान की जॉच कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर